

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा (जिला-जालोर)  
पीठासीन अधिकारी - श्रीमति पुष्पाकंवर सिसोदिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या - 16/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मंगलसिंह पुत्र नगसिंहजी 2. भंवरसिंह पुत्र नगसिंहजी कौम राजपूत साकिन बैतारणा तहसील जसवंतपुरा		1. राणसिंह पुत्र बलवंतसिंहजी 2. भंवरसिंह पुत्र बलवंतसिंहजी 3. विजयसिंह पुत्र बलवंतसिंहजी 4. गुमानसिंह पुत्र बलवंतसिंहजी 5. नाथूसिंह पुत्र बलवंतसिंहजी 6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा 7. शाखाप्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रामसीन तहसील जसवंतपुरा जिला-जालोर


दावा बाबत विभाजन खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 27.2.2020

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 3.12.2019 को सरहद मौजा बैतारणा के वादग्रस्त आराजी ख.न. 372 रकबा 1.38 है० किस्म बारानी दोयम का मौके पर कब्जाकाशत अनुसार, माफिक राजस्व रेकॉर्ड बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के जरिये खातेदारान के मध्य विभाजन लगान आदि निश्चित कर विभाजन के प्रस्ताव विभिन्न रंगों में दर्शाते हुए रास्ते की सुविधा को मध्यनजर प्राथमिक डिक्री सादिर की जाने पर तहसीलदार जसवंतपुरा की ओर से निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किये गये-

हिस्सा	नाम खातेदार	खसरा नं०	रकबा	किस्म	लगान	संलग्न राजस्व नक्शे में रंग
वादी के 1/2 हि० पेटे	मंगलसिंह भंवरसिंह पि० नगसिंह कौम राजपूत सा० देह खातेदार  रहन- आरएमजीबी शाखा रामसीन	372 में से	0.69 है०	बारानी दोयम	3.45	लाल
प्रतिवादी सं० 1 से 5 तक हक हिस्सा पेटे	राणसिंह 1/5 भंवरसिंह 1/5 विजयसिंह 1/5 गुमानसिंह 1/5 नाथूसिंह 1/5 पि० बलवंतसिंह कौम राजपूत सा० देह खातेदार  रहन- गुमानसिंह व नाथूसिंह का हि० आरएमजीबी रामसीन	372 में से	0.69 है०	बारानी दोयम	3.45	आसमानी



फोटो स्टेट प्रति

सहायक अधिकारी

इस प्रकार तहसीलदार जसवंतपुरा की ओर से विभाजन के प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री प्राप्त हुए, जिस पर किसी भी पक्षकारान अथवा अधिवक्ता द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप में किसी प्रकार की कोई उजर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में तहसीलदार जसवंतपुरा की ओर से प्राप्त विभाजन के प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होती है।

हिस्सा	नाम खातेदार	खसरा नं०	रकबा	किस्म	लगान	संलग्न राजस्व नक्शे में रंग
वादी के 1/2 हि० पेटे	मंगलसिंह भंवरसिंह पि० नगसिंह कौम राजपूत सा० देह खातेदार  रहन- आरएमजीवी शाखा रामसीन	372 में से	0.69 है०	बारानी दोयम	3.45	लाल
प्रतिवादी सं० 1 से 5 तक हक हिस्सा पेटे	राणसिंह 1/5 भंवरसिंह 1/5 विजयसिंह 1/5 गुमानसिंह 1/5 नाथूसिंह 1/5 पि० वलवंतसिंह कौम राजपूत सा० देह खातेदार  रहन- गुमानसिंह व नाथूसिंह का हि० आरएमजीवी रामसीन	372 में से	0.69 है०	बारानी दोयम	3.45	आसमानी

एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि पक्षकारान उपरोक्तानुसार अपने बंट में आयी आराजी के एक -दूसरे के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें एवं न ही किसी से करावें। उक्त निर्णय के साथ संलग्न नक्शा किश्तवार निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार जसवंतपुरा का भेजी जावें। डिक्री परचा जारी हो।



फोटो स्टेट प्रति  
उपखण्ड अधिकारी  
जिला-जालौर

(पुष्पा कंवर) निम्नोदित  
सहायक कलक्टर (जसवंतपुरा)  
जसवंतपुरा